
Ony Est

To:



भारत सरकार

Government of India

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, Dated 5thApril, 2021

- 1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India as per standard I ist.
- 2, Chief Secretaries All State Governments/UT Administration as per standard list.
- ゟ゙. All organisations under M/o WR, RD & GR.

Subject: Advertisement of vacancy circular for filling up the one post of General Manager in Brahmaputra Board, Guwahati on deputation (including short term contract) basis.

I am directed to say that applications are invited for filling up of the one (01) post of General Manager in the Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The General Manager, as Chief Executive Authority of the Board, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Board. He shall prescribe and assign the duties of all officers and staff of the Board who are sub-ordinate to him and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary and shall co-ordinate the activities of various units under the Board. The General Manager shall also exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman, as may be delegated to him by the Chairman and as may be determined by the regulations. The General Manager shall also exercise the powers and duties as prescribed under rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981 in matters pertaining to budget and allocation or re-appropriation of grants.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including-short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognised research institutions:

(A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' years regular service in the grade; or

(iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or

(iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and

(I) Degree

July solow III)

13.

ns

510-51202

(ii) fifteen years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

- 5. <u>AGE</u>: The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.
- 6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
- 7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
- 9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-I to V** should reach to Shri A.K. Kaushik, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.625, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110001 within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
- 10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in Annexure-2 (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in Annexure-3 (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in Annexure-4 and (v) Integrity Certificate as given in Annexure-5 and (vi) Cadre Clearance.
- 11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the Ministry's website http://mowr.gov.in.

Yours faithfully,

(A.K. Kaushik) Under Secretary to the Government of India

der Secretary to the Government of India Tele:23714350

Annexure-1

1	Name of Post	General Manager, Brahmaputra Board, a statutory body
	Number of Posts	: 01 (one)
-	Classification	: Group 'A', Non-Ministerial
	Pay Band	
	Grade Pay	Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-) Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-)
6	Period of deputation	The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
7	Duties and responsibilities of the post	The General Manager, as Chief Executive Authority of the Board, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Board. He shall prescribe and assign the duties of all officers and staff of the Board who are sub-ordinate to him and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary and shall co-ordinate the activities of various units under the Board. The General Manager shall also exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman, as may be delegated to him by the Chairman and as may be determined by the regulations. The General Manager shall also exercise the powers and duties as prescribed under rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981 in matters pertaining to budget and allocation or re-appropriation of grants.
8	Pay & Allowances	The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	Deputation (including-short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognised research institutions: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' years regular service in the grade; or (iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 - 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or (iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and (B) possessing the following educational qualifications and experience namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) fifteen years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration.

		Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.					
10	Age	The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.					

Annexure-2

Bio Data Proforma

1. Name and address (in Block Letters):

Telephone Number:

- 2. Date of Birth (in Christian era):
- 3. Date of retirement under Central Government Rules:
- 4. Educational Qualifications:
- 5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

- 6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/ Institution/ organisation	Post held and service / cadre to which it belongs	From	 Pay in the pay band and classification of post	Nature of duties

- 8. Nature of present employment, i.e.,
- i. Ad-hoc basis
- ii. Regular / on temporary basis
- iii. Pay in the Pay Band
- iv. Grade Pay drawn
- 9. In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state:
- a. The date of initial appointment
- b. Period of appointment on deputation / contract
- C. Name of the parent office/organisation to which you belong
- . 10.Additional details about present employment. Please state whether working under:
 - a. Central Government
 - b. State Government
 - c. Autonomous organisation
 - d. Government Undertaking
 - e. Universities
 - 11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
 - 12. Total emoluments per month now drawn:
 - 13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for

the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

14. Whether belonging to SC/ST

15.Remarks

Signature of the candidate

Date:

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

		Annexure-3
	VIGILANO	CE CLEARANCE CERTIFICATE
contemplated Dr./Shri/Smt./Ms		plinary proceedings or criminal proceedings is either pending or against who has in the on deputation basis.
		(Authorised signatory) Name & Office Seal : Date:
		Annexure-4
	NC	PENALTY CERTIFICATE
Dr./Shri/Smt./Ms		alty has been imposed during the last ten years on who has in the on deputation basis.
		(Authorised signatory) Name & Office Seal : Date:
		Annexure-5
	11	NTEGRITY CERTIFICATE
	-	Annual Confidential Report of
	post of	who has in the on deputation basis, it is doubt.
	(To t	be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above) Name & Office Seal ; Date:

सं.ए.12026/2/2021-ई-III भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांवधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सिहत) पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14, (1,44,200 रूपए -2,18,200/-रूपए) में महाप्रबंधक के 01 (एक) पद को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्व का संक्षिप्त विवरण

महाप्रबंधक, बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों के समुचित संचालन में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने अधिनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्वों को निर्धारित करेगा और इन दायित्वों को उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षणी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों में तालमेल करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का उपयोग और दायित्वों का निर्वहन भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जा सकती हों या जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हों। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन या अनुदानों के पुनर्विनियोजन संबंधी मामलों में ब्रहमपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सिहत): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो:

- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हों; या
- (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13क के ग्रेड (1,31,100 रूपए -2,16,600/-रूपए) में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित अपर मुख्य अभियंता या मुख्य अभियंता के पद पर हों; या

- (iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 के ग्रेड (1,23,100 रूपए -2,15,900/-रूपए) में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित उप- मुख्य अभियंता के पद पर हों; या
- (iv) वेतन मैट्रिक्स के लेवंल-12 के ग्रेड (78,800 रूपए -2,09,200/-रूपए) में आंठ वर्षों की नियमित सेवा सहितं अधीक्षण अभियंता के पद पर हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:
 - (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और
 - (ii) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कामों में 15 वर्ष का अनुभव।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सिहत) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सिहत) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 5. **आयु-** प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सिहत) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।
- 7. किसी भी अधिकारी के चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्य भार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।
- 8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

- 9. <u>अनुलग्नक-। से V</u> में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, यह परिपन्न जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से <u>60</u> दिन के अंदर श्री ए. के. कौशिक, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, छठा तल, कमरा सं. 625, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखां जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगें गए संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रद्द किया जा सकता है।
- 10. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रतियों में) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) अनुलग्नक-3 में दिए दिए प्रपत्र में सतर्कता स्वीकृति (iv) अनुलग्नक-4 के प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो, और (v) अनुलग्नक-5 के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो।

11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- http://mowr.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।

(ए. के. कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

फोन: 23714350

1.	पंद का नाम	:	महाप्रबंधक, ब्रहमपुत्र बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	:	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	ě	समूह 'क', अननुसचिवीय
4.	वेतन बैंड	*	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/- रूपए)
5.	ग्रेड वेतन	*	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-14 में (1,44,200- 2,18,200/-रूपए)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	:	प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के दायित्व एवं जिम्मेदारी		महाप्रबंधक, बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों के समुचित संचालन में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्वों को निर्धारित करेगा और इन दायित्वों को उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षणी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों में तालमेल करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जा सकती हों। या जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हों।

			महाप्रबंधक, बजट और आबंटन या अनुदानों के पुनर्विनियोजन संबंधी मामलों में ब्रहमपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेगा।
8.	वेतन एवं भत्ते	•	चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
9.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और पात्रता		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रसाशन या राज्य विद्युत बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो: (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13क के ग्रेड (1,31,100 रूपए -2,16,600/-रूपए) में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित अपर मुख्य अभियंता या मुख्य अभियंता के पद पर हों; या (iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 के ग्रेड (1,23,100 रूपए -2,15,900/-रूपए) में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित उप- मुख्य अभियंता के

•

	पद पर हों; या
	(iv) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 के ग्रेड (78,800
	रूपए -2, 09,200/-रूपए) में आठ वर्षों की नियमित
	सेवा सहित अधीक्षण अभियंता के पद पर हों; और
	(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और
	अनुभव हो:
	(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल
	इंजीनियरिंग में डिग्री; और
	(11) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और
	सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ
	सिविल इंजीनियरिंग कामों में 15 वर्ष का
	अनुभव।
	किसी भी अधिकारी के चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।
10. आयु	ः प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जीवन-वृत्त प्रपत्र

- नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) :
 टेलीफोन नंबर :
- 2. जन्म तिथि (ईसवीं सन में) :
- 3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख:
- 4. शैक्षणिक अर्हताएं :
- 5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं रखते हैं। (यदि किसी आहर्ता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

अपेक्षित अर्हताएं /अनुभव	अधिकारी की अर्हताएं / अनुभव
अनिवार्य	
वांछित	

- 6. कृपया स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
- 7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित एक शीट अलग से संलग्न करें) :

कार्यालय/	धारित पद	से	तक	वेतन बैंड में	कार्य का
संस्था/संगठन	और सेवा /			वेतन और	स्वरूप
	संवर्ग जिससे			पद की श्रेणी	
	यह संबंधित				
	है				

- 8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात
 - (i) तंदर्थ आधार पर
 - (ii) स्थाई /अस्थाई आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में वेतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन

- 9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में, कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
 - (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन जिससे आप संबंधित हैं, का नाम
- वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्तं विवरण ।
 कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-
 - (क) केन्द्र सरकार
 - (ख) राज्य सरकार
 - (ग) स्वायत्त संगठन
 - (घ) सरकारी उपक्रम
 - (ङ) विश्वविद्यालय
- 11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां :
- 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
- 14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं
- 15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पाई गई है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री	न्होंने
में प्रतिनियुक्ति के आधार पर के पद के लिए आवेदन	किया है,
के विरूद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिव	न कार्रवाई
लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है।	

(प्राधिकृत अधिकारी) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :

अनुलग्नक-4

शास्ति प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री			जिन्हों	ने	
में प्रतिनियुक्ति के आधार पर	के पद	के लिए	आवेदन	किया है,	पर
पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गर	यी है।				

(प्राधिकृत अधिकारी) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :

अनुलग्नक-5

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

डा.	/શ્રી/શ્રી	मतीः	सुश्री.								जिन्ह	ोंने			में	प्री	तेनियु	क्त
के	आधा	र पर		~ ~ ~ ~ ~		के	पद	के	ਕਿए	आवेद	न कि	या है	, की	वार्षिक	गोपनी	य	रिपोर्ट	की
जां	च कर	ने के	बाद	यह	प्रमाणि	ति	किय	ा ज	ाता है	कि उ	नकी	सत्य	नेष्ठा	में को	ई संदेह	न	हीं है।	

(उपसचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :

cirulate